

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : रवेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 887 सन 2021

अनवान :-

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. अजबसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
3. रामनिवासी पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
4. सुनिता पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
5. माया पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
6. केसर पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
7. मैना पुत्री शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
8. सुरेश कुमार पुत्र शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
9. सुरेन्द्र पुत्र शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
10. भोगो पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
11. गुडडी पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
12. मैना पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
13. कलावती पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :-04.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही भौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 168/166 की कुल 20.2970 हैक्ठूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सरदाराराम वल्द कानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सरदाराराम वल्द कानाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सरदाराराम वल्द कानाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिराके कारण पैतृक सम्पति है जिरामें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है जो काफी बृह हो चुका है भूमि कारत करने में असमर्थ है प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री /पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सरदाराराम वल्द कानाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिरामें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 13 ने

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरगाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण ने उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कारतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जाये।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोड़ी मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 168/166 की कुल 20.2970 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु०प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि सरदाराराम वल्द कानाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सरदाराराम वल्द कानाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा सरदाराराम वल्द कानाराम के देहान्त होने के बाद विरातन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरातन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1,4 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1,4 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण फादिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2,3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्ताम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोड़ी मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 168/166 की कुल 20.2970 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजद किया जाकर जिसमें वादीगण संख्या 1,2 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्ताम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आरय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाका दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मैरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नैहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...दलपतपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. अजबसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
3. रामनिवासी पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
4. सुनिता पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
5. माया पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
6. केसर पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
7. मैना पुत्री शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
8. सुरेश कुमार पुत्र शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
9. सुरेन्द्र पुत्र शान्ति पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
10. गोगो पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
11. गुडडी पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
12. मैना पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
13. कलावती पुत्री सहीराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्य नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 887 सन 2021 निर्णय दिनांक- 04.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुज्ज श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्य ) नोहर के रामदा उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सद्बुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 168/166 की कुल 20.2970 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजान किया जाकर जिसमें वादीगण संख्या 1, 2 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उभयपक्ष अपना अपना धहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्य )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट....दलपतपुरा